2018 का विधेयक सं. 4

राजस्थान वित्त विधेयक, 2018

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए राज्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 और राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 को और संशोधित करने और कतिपय अन्य उपबंध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 3

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 में संशोधन

7. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 17 का संशोधन.- राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 17 की उप-धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "और वाणिज्यिक कर विभाग का कोई भी अधिकारी जो वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा नियन्त्रित जांच चौकी पर पदस्थापित इन्सपेक्टर से नीचे के पद का न हो" के स्थान पर अभिव्यक्ति "और राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय का कोई भी अधिकारी जो राजस्व आसूचना अधिकारी से नीचे के पद का न हो" प्रतिस्थापित की जायेगी।

8. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 18 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 18 में विद्यमान अभिव्यक्ति "जो सब-इन्सपेक्टर से नीचे के पद का न हो" के पश्चात् और अभिव्यक्ति ",इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ" के पूर्व अभिव्यक्ति "और राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय का कोई भी अधिकारी जो राजस्व आसूचना अधिकारी से नीचे के पद का न हो" अन्त:स्थापित की जायेगी।